इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर 2014—अग्रहायण 6, शक 1936

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच (58).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 54 में, उप नियम (1) में, परन्तुक में, खण्ड (छह) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जाए, अर्थात्:—

"(सात) वर्ष 2013-14 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट बिना किसी विलंब शुल्क के 31 दिसम्बर, 2014 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रवीन्द्र कुमार चौधरी,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए 3-20-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-20-2014-1-पांच (58), दिनांक 27 नवम्बर, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रवीन्द्र कुमार चौधरी,** उपसचिव.

Bhopal, the 27th November 2014

No. F-A-3-20-2013-1-V (58).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 54, in sub-rule (1), in the proviso, after clause (vi), the following new clause shall be added, namely:—

"(vii) the audit report pertaining to the year 2013-2014 can be furnished up to 31st December, 2014 without a late fee.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.